न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 69 /2013–14

गौरी शंकर मन्दिर ट्रस्ट रायवाला

–बनाम–

तहसीलदार, ऋषिकेश आदि

उपस्थिति : श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री डी0आर0 तिवारी।

अधिवक्ता उत्तरदाता : श्री दिनेश तिवारी।

बावत
मौजा रायवाला, परगना परवादून,
तहसील ऋषिकेश, जनपद–देहरादून

आदेश

यह निगरानी तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा वाद संख्या–1613 वर्ष 2013 अन्तर्गत धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम गौरी शंकर मन्दिर समिति बनाम गौरी शंकर मन्दिर ट्रस्ट में पारित आदेश दिनांक 05–03–2014 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पंजीकृत ट्रस्ट डीड के आधार पर निगरानीकर्ता गौरी शंकर मन्दिर ट्रस्ट रायवाला द्वारा ट्रस्टी श्री डी0आर0 तिवारी ने नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20–03–2012 नायब तहसीलदार, ऋषिकेश के न्यायालय में प्रस्तुत किया। घोषणा पत्र जारी होने के उपरान्त नायब तहसीलदार, ऋषिकेश ने निर्णयादेश दिनांक 02–05–2012 से खतौनी खाता संख्या–73 खसरा नम्बर–815, 830/815 गौरी शंकर मन्दिर ट्रस्ट, रायवाला का नाम खारिज कर गौरी शंकर मन्दिर ट्रस्ट ग्राम रायवाला अध्यक्ष, डी0आर0 तिवारी पुत्र स्व0 अर्जुन प्रसाद तिवारी का नाम दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए। इस आदेश के विरूद्व गौरी शंकर मन्दिर ट्रस्ट रायवाला द्वारा मुख्य ट्रस्टी स्वामी ब्रहमदेव ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 19–06–2012 को प्रस्तुत किया। दिनांक 12–11–2012 को पुनर्स्थापन प्रार्थी/आपत्तिकर्ता स्वामी ब्रहमदेव के अनुपस्थित होने के कारण नायब तहसीलदार ने उनका पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनाक 19/20–06–2012 अदम पैरवी में निरस्त कर पूर्व आदेश दिनांक 02–05–2012 को यथावत रखने के आदेश पारित किए गए। पुनः गौरी शंकर मन्दिर ट्रस्ट द्वारा मुख्य ट्रस्टी स्वामी ब्रहमदेव ने दिनांक 27–11–2012 को नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–11–2012 को पुनर्स्थापित किए जाने हेतु पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उप जिलाधिकारी के कार्य विभाजन आदेश दिनांक 19–09–2012 के अनुसार वाद पत्रावली निस्तारण हेतु तहसीलदार, ऋषिकेश न्यायालय को स्थानान्तरित हुई। इस वाद में दिनांक 07–02–2014 को पुनर्स्थापन प्रार्थी स्वामी ब्रहमदेव की ओर से वाद को पुनर्स्थापित करने एवं वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने आदि से

निषिद्व किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा आदेश दिनांक 05–03–2014 पारित करते हुए मूल नामान्तरण वाद को पुनर्स्थापित किया गया एवं वादग्रस्त भूमि को क्रय–विक्रय से निषिद्व किए जाने के आदेश पारित किए गए। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रस्तुत की है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता वादग्रस्त भूमि का मुख्य ट्रस्टी की हैसियत से मालिक स्वामी काबिज भूमिधर है। दिनांक 23–03–2014 को न्यायालय तहसीलदार, ऋषिकेश में लम्बित वाद में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के विरूद्व निगरानीकर्ता पैरवी करने हेतु पहुंचा तो पत्रावली का मुआयना करने पर ज्ञात हुआ कि तहसीलदार, ऋषिकेश ने दिनांक 05–03–2014 को दो बार एक ही तिथि को आदेश पारित किया गया है जो क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा क्षेत्राधिकार से परे निगरानीकर्ता के विरूद्व क्रय–विक्रय के विरूद्व निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है। निगरानीकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए ही एकपक्षीय निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है। धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत लिखित आपत्ति के साथ एक बार ही पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। पीठासीन अधिकारी एक बार आदेश पारित करने के उपरान्त अपने द्वारा पूर्व में पारित किये गये आदेश में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। धारा–202 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मात्र लिपिकीय त्रुटि की दुरस्ती 90 दिन के अन्दर की जा सकती है। तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–2013 एवं 05–.03–3014 क्षेत्राधिकार के बाहर एवं विधि विरूद्व पारित किया गया हैं जो निरस्त होने योग्य हैं।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी का तर्क है कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के विरूद्व विधि अनुसार निगरानी पोषणीय नहीं है। विधि अनुसार दाखिल खारिज कार्यवाही में नाम परिवर्तित ट्रस्ट डीड के आधार पर नहीं हो सकता जिसके विरूद्व प्रतिउत्तरदाता द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रतिउत्तरदाता गौरी शंकर मन्दिर ट्रस्ट जिसका पंजीकरण दिनांक 11–11–1973 में हुआ था के मुख्य ट्रस्टी हैं। प्रतिउत्तरदाता वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त हैं। अवर न्यायालय में अभी पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं हुआ है। निगरानी अन्तरिम आदेश के विरूद्व योजित की गई है जो पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है।

इस प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता द्वारा पंजीकृत ट्रस्ट डीड के आधार पर नामान्तरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे नायब तहसीलदार, ऋषिकेश ने अपने आदेश दिनांक 02–05–2012 से स्वीकार किया। इस आदेश के पुनर्स्थापन हेतु प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 स्वामी ब्रहमदेव ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 12–11–2012 को उनकी अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया गया। पुनः प्रतिउत्तरदाता ने अवर न्यायालय में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो तहसीलदार, ऋषिकेश के आदेश

दिनांक 05–03–2014 से स्वीकार किया गया एवं वाद को मूल नम्बर पर स्थापित किया गया। इस आदेश के विरूद्व यह निगरानी निगरानीकर्ता ने योजित की है। आदेश दिनांक 05–03–2014 का अवलोकन किया गया। इस आदेश से तहसीलदार ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि के क्रय–विक्रय से निषिद्व किया गया है। यह आदेश अन्तरिम प्रकृति का आदेश है। अन्तरिम आदेश के विरूद्व विधि अनुसार निगरानी पोषणीय नहीं है और अभी अवर न्यायालय में निगरानीकर्ता को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। चूँकि अवर न्यायालय में वाद पुनर्स्थापित हो चुका है और पक्षकारों के मध्य अभी विवाद पूर्ण रूप से निर्णीत नहीं हुआ है और अभी पक्षकारों को अवर न्यायालय में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं और निगरानीकर्ता ने यह निगरानी अन्तरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की है जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है।

अतः निगरानी बलयुक्त न होने के कारण निरस्त की जाती है। निगरानीकर्ता अवर न्यायालय में पारित निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्व आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र हैं।

दिनांकः 16 अगस्त, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।